



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1165

दिनांक 14/6/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (ग.नि.स. स./ निजी, खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री कैलाश यादव पुत्र श्री नवल किशोर यादव एवं AMEY Megastructure LLP पार्टनर श्री दीपक गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल	श्री कैलाश यादव पुत्र श्री नवल किशोर यादव एवं AMEY Megastructure LLP पार्टनर श्री दीपक गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल	178	आवासीय	नेगी सागर (तोपखानादेश ग.नि.स.स.)	396.62 व. ग.	आवासीय	मिश्रित

—sd—
उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
उपायुक्त एवं प्रशिक्षण अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- २२५७


दिनांक:- 14/1/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अन्तराग वर्मा, श्री आशीष वर्मा एवं सौभाग्य	डी-235	जविप्रा	मालवीय नगर	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 2250


दिनांक:- 13/6/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती शीला फिलिप्स	डी-179	जविप्रा	मालवीय नगर	लीजहोल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302 004
फोन : 0141-2573150 (0) 0141-2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1306

दिनांक 13.6.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती रजनी सिंह पत्नी श्री प्रदीप कुमार सिंह	श्री बृजेन्द्र पुत्र श्री जगन्नाथ, ज़रिये मु.आम श्रीमती ज्ञानी देवी पत्नी श्री पारसनाथ	बी-391	50.00 व.ग.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा, अपंजीकृत मुख्तियारनामा इत्यादि
2	श्री बिजेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री नेतराम गोयल	श्रीमती कान्ता अग्रवाल पत्नी श्री मदन लाल, श्री रमन अग्रवाल, श्री रजनीश अग्रवाल पुत्रान स्व. श्री मदन लाल व श्रीमती मिनाक्षी अग्रवाल पुत्री श्री मदन लाल	8/7	390.00 व.ग.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	रजिस्टर्ड मुख्तियारनामा, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इत्यादि
3	श्री किशनचन्द पुत्र श्री बग्गामल सोडाली	श्री नवल किशोर चौधरी पुत्र श्री दामोदर लाल	सी-317	50.00 व.ग.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	रजिस्टर्ड मुख्तियारनामा, इत्यादि
4	श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व. श्री राधा किशन	श्री राधा किशन गेहानी पुत्र श्री ग्यानीराम	सी-312	50.00 व.ग.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र इत्यादि


उपायुक्त जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री एस.एस. शर्मा, श्री ईशान शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा एवं तेजश शर्मा पुत्र श्री अजय शर्मा	श्रीमती सावित्री देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री अमरनाथ शर्मा	4बी	450.00	श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि	करणी विहार	पुनर्गठन/लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद एवं अपंजीकृत इकरारनामा
		श्रीमती सावित्री देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री अमरनाथ शर्मा	4सी	300.00				
		श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र स्व.श्री अमर नाथ शर्मा	12ए	722.22				
		मैसर्स राजेश शर्मा फैमली ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री ए.एन शर्मा	13	1022.22				


उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।


यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-1303 दिनांक 12/05/2022

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स : +91-141-2569696 एकसंदेशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555


ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

BASED AMVICARTILING docx



आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सुमेर नगर विस्तार आई ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 519.44 वर्गगज का भूखण्डधारी श्री पुरुषोत्तम बिश्नोई पुत्र श्री देवदत्त बिश्नोई द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का बास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 111 में सृजित है। उक्त भूखण्ड संख्या 01 योजना गिराज नगर के भूखण्ड संख्या 260 से ओवरलेप है अर्थात् भूखण्ड संख्या 1 के स्थान पर भूखण्ड 260 सृजित कर अनुमोदित किया गया है। भूखण्ड संख्या 260 योजना गिराज नगर की लीजडीड जारी नहीं की गई है। योजना गिराज नगर की सदस्यता सूची के क्रम संख्या 267 पर श्रीमती मूली देवी पत्नी श्री बट्टीनारायण शर्मा का नाम दर्ज है एवं योजना सुमेर नगर विस्तार आई ब्लॉक की सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 1 पर श्री पुरुषोत्तम बिश्नोई पुत्र श्री देवदत्त बिश्नोई का नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।


उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 1480
दिनांक 12.6.2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी-

2759

दिनांक:-

12/6/2023

सार्वजनिक सूचना


उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	बी-206	218.56	शिक्षा विहार (शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ. नि.स.समिति)	खेमराज मीना पुत्र श्री भूरामल मीना	श्री सुनील करोल पुत्र श्री रामप्रसाद करोल	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे समिति के नाम का उल्लेख नही होने के कारण।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर जयपुर

प्रतिलिपि: जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 2775

दिनांक:- 13/6/2023

सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	ए-67	272.22	आनन्द विहार (डी रेल्वे मैन्स हा.को. सो.लि.)	जेनेन्द्र कुमार तोषनीवाल, कीर्ति तोषनीवाल, चन्द्र शेखर तोषनीवाल पुत्रान स्व. श्री रामसिंह तोषनीवाल	रामसिंह तोषनीवाल पुत्र श्री ईश्वर सिंह	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर

017-
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

017-
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी-1212

दिनांक 13.06.2023

विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदक/आवेदिका द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑफलाईन/ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक/आवेदिका के पक्ष में फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	25	नवीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना मुक्तानन्द नगर	उर्मिला यादव पत्नी श्री दिनेश कुमार यादव	श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री उमराव सिंह यादव	पंजीकृत पट्टा, मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंजीकृत वेसीयतनामा के आधार पर।
2	सी-48ए	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना विष्णुपुरी	श्रीमती मनभर कंवर पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भारत सिंह	पंजीकृत पट्टा, मृत्यु प्रमाण पत्र, हक त्याग पत्र के आधार पर।
3	95	हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना कैलाशपुरी	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री लल्लु राम मीणा	श्री लल्लू राम मीणा पुत्र श्री सूरज नारायण मीणा	पंजीकृत पट्टा, मृत्यु प्रमाण पत्र, हक त्याग पत्र के आधार पर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2023/डी-1213

दिनांक 13-06-2023

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	एच-26	सिद्धार्थ नगर एच	श्रीमती भगवती देवी पत्नी मीठा लाल मीणा	श्री मिथिलेश अग्रवाल पुत्र श्री कस्तूर चन्द	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईड प्लान, रसीद, अपंजीकृत मुख्यारनामा एवं पंजीकृत विक्रय पत्र इत्यादि।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102282

दिनांक: 13/06/2023

लोक सूचना

श्री DEEPAK PUNJABI पुत्र श्री MANOHAR LAL PUNJABI जाति PUNJABI निवासी 51/93 SHIPRA PATH MANSAROVAR JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामसिंहपुरा बास धोलाई, सांगानेर (जयपुर)	DEEPAK PUNJABI S/O MANOHAR LAL PUNJABI	580/300	331	0.0331
कुल					0.0331

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13-06-2023 को जारी की गयी।

उपायुक्त
प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

54/3



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी-1230

दिनांक 15.06.2023

विज्ञापित/ सूचना

आवेदकगण द्वारा वसावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्यालय को फील्ड में जमा करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संस्थान की कोई अपपत्ति हो तो विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में जयपुर नगरपालिका के सम्बन्धित कार्यालय में अपनी अपपत्ति प्रस्तुत कर दे अन्यथा समय सीमा पर्याप्त आवेदकगण के फल में फील्ड में जमा करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी सूचित है।

क्र.सं.	भूखण्ड संमिति	एव आवेदक का नाम	मूल आवेदन का कार्यवाही हेतु प्रस्ताव
1	सी-312 (पुराना) सी-346 (नया)	न्यू टिकसिटी गृह निर्माण सहाकारी समिति लि की योजना निम्नस्थ नगर-सी	श्रीमती अन्ज वराठी श्री सम्यक वराठी श्री सोर्य वराठी पत्नी/पुत्र स्व. श्री सजय वराठी

उपायुक्त जोन-4
जयपुर, जयपुर।

प्रतिलिपी:-
1. जयपुर नगरपालिका

जयपुर विकास विभाग व
जयपुर नगरपालिका के व्यय
जयपुर नगरपालिका



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2023/डी-1213

दिनांक 13-06-2023

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	एच-26	सिद्धार्थ नगर एच	श्रीमती भगवती देवी पत्नी मीठा लाल मीणा	श्री मिथिलेश अग्रवाल पुत्र श्री कस्तूर चन्द	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईड प्लान, रसीद, अपंजीकृत मुख्तारनामा एवं पंजीकृत विक्रय पत्र इत्यादि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रारूप-13

{नियम13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक डी-1214

दिनांक 12-06-2023

लोक सूचना

अद्योहस्ताक्षरी को जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जारी विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरित होने के कारण योजना के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(5) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63(II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावसित कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे :-

क्र. सं.	सहकारी समिति का नाम	ग्राम /तहसील	खसरा	रकबा हैक्ट	स्वामित्व
1	न्यू पिकसिटी गृ.नि.स.स की योजना कृष्णा विहार	ग्राम सांगानेर तहसील- सांगानेर	3497	0.30	मैसर्स श्री बाछूराम पुत्र बिहारी, जाति छीपा, निवासी-सांगानेर
			3498	0.22	गुल्लाराम पुत्र उदयराम, जाति माली, निवासी-सांगानेर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org


क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 1570

दिनांक:- 13/6/23


आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती शाहिदा बानो पत्नी श्री ताहीर	श्री दुर्गादत्त शर्मा पुत्र श्री डालूराम	एफ-923	-	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 10.03.2018 के आधार पर


उपायुक्त/जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।


उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102282

दिनांक: 13/06/2023

लोक सूचना

श्री DEEPAK PUNJABI पुत्र श्री MANOHAR LAL PUNJABI जाति PUNJABI निवासी 51/93 SHIPRA PATH MANSAROVAR JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामसिंहपुरा बास धोलाई, सांगानेर (जयपुर)	DEEPAK PUNJABI S/O MANOHAR LAL PUNJABI	580/300	331	0.0331
कुल					0.0331

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **13-06-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत एवं सूचित अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102524

दिनांक: 12/06/2023

लोक सूचना

श्री GHANSHYAM पुत्र श्री SHANKAR LAL SHARMA जाति BRAHMAN निवासी 150, AASHIND NAGAR, SANGANER, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सांगानेर कस्बा, सांगानेर (जयपुर)	GHANSHYAM SHARMA S/O SHANKAR LAL SHARMA	1429	1400	0.14
कुल					0.14

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12-06-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- LU2012/JDA/2023-24/102624

दिनांक:- 13/06/2023


लोक सूचना

श्री TIRUPATI ACRES PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR SHRI ASHUTOSH BANSAL पुत्र SHRI PRAVEEN KUMAR BANSAL जाति MAHAJAN निवासी SHYAMA APARTMENT, SHYAM SAROVAR RESIDENCY, NEAR LAKHDATAR HOTEL, KHATUSHYAMJI, SRIMADHOPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का वाणिज्यिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा न.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई, सांगानेर (जयपुर)	TIRUPATI ACRES PRIVATE LIMITED	586/545	872	0.0872

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13.06.2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- LU2012/JDA/2023-24/102623

दिनांक:- 13/06/2023


लोक सूचना

श्री KRISHNAA BALRAM RESIDENCY PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR SHRI ASHUTOSH BANSAL पुत्र श्री SHRI PRAVEEN KUMAR BANSAL, जाति MAHAJAN निवासी 165, FIRST FLOOR, RATHORE NAGAR, AMRAPALI MARG, VAISHALI NAGAR, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का वाणिज्यिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा न.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई, सांगानेर (जयपुर)	KRISHNAA BALRAM RESIDENCY PRIVATE LIMITED	587/545	1051	0.1051

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13.06.2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर


यूओनोट

विषय :- विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खातेदार श्री दीपक पंजाबी पुत्र श्री मनोहर लाल पंजाबी द्वारा ग्राम रामसिंहपुरा बास धौलाई तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 580/300 रकबा 0.0331 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क अंतर्गत कृषि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक LU2012/JDA/2022-23/102282 के द्वारा आवेदन किया गया है।

अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 की पालना में संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में करवाते हुए समाचार पत्र की प्रति जोन कार्यालय को उपलब्ध करावें।

संलग्न :- लोक सूचना की प्रति।


उपायुक्त जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर

यूओनोट क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-08/2023/डी- 1584
दिनांक 14/6/23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102282

दिनांक: 13/06/2023

लोक सूचना

श्री DEEPAK PUNJABI पुत्र श्री MANOHAR LAL PUNJABI जाति PUNJABI निवासी 51/93 SHIPRA PATH MANSAROVAR JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामसिंहपुरा बास धोलाई, सांगानेर (जयपुर)	DEEPAK PUNJABI S/O MANOHAR LAL PUNJABI	580/300	331	0.0331
कुल					0.0331

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13-06-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा/जोन-4/2023/डी-1230

दिनांक 09.06.2023

विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदकगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्यालय के फील्ड कार्यालय में जारी करने हेतु ऑफलाइन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/व्यक्तिगत की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिनों में अधिकारकर्ता के सम्बन्धित कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पर्याप्त अवधि का पत्र के पत्र में फील्ड कार्यालय जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी। सूचित रहे।

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	समिति योजना का नाम	एवं आवेदक का नाम	मूल आवेदक का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सी 312 (पुराना) सो-346 (नया)	न्यू पेंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना निहाथ नगर-सी	श्रीमती अन्जू बेराठी, श्री सम्यक बेराठी, श्री सौर्य बेराठी पत्नी/पुत्र स्व. श्री संजय बेराठी	श्री गोविन्द राम गुप्ता पुत्र श्री कजोडी मल गुप्ता	सर्वेक्षण द्वारा जारी आवेदन पत्र, रसीद, सर्वेक्षण स्थान में जमीन का नक्का, समाचार पत्र में ख़रीद पाया में प्रकाशन, एच.आइ.आर. की प्रति, विजली के बिल गटान की फोटो, अप्रैप्रीकृत इकरेशनगुप्त गुल्यु प्रमाण पत्र, राजस्व प्रमाण पत्र, राशन कार्ड के आधार पर।


प्रतिलिपि

1.

उपायुक्त जोन-4
जयपुर, जयपुर।

विभाग का

राम किशोर ग्राम भवन, इन्दिरा मर्किल, अवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष : 0141 2574798 • ईमेल: jda@jda.rajasthan.gov.in • फ़ोन : 82110 • वेब : www.jda.rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम भाटेड, तहसील सांगानेर एवं बासड़ी जोगियान, तहसील फागी के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

उपायुक्त

जोन-14, जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जोन-14

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

✓ जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-1346

दिनांक:- 13/06/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102615

दिनांक: 13/06/2023

लोक सूचना

श्रीमति NEW PATH DEVELOPERS LLP THROUGH DESIGNATED PARTNER SUMAN DHAKED पत्नी श्री HIMANSHU NAGAR जाति JAT निवासी 508, OKAY PLUS TOWER, NEAR KV 5, MANSAROVAR, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	952/2	2400	0.24
2.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	953	1200	0.12
3.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	954	300	0.03
4.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	955	3900	0.39
5.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	956	3400	0.34
6.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	959	400	0.04
7.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	948	4700	0.47
8.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	949	2400	0.24
9.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	950	3800	0.38
10.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	951	1200	0.12
11.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	952/1	3400	0.34
12.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	957	5600	0.56
13.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	966	800	0.08
14.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	967	5200	0.52

15.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	972	7300	0.73
16.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	973/1660	300	0.03
17.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	968	1200	0.12
18.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	969	3400	0.34
19.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	970	700	0.07
20.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	971	100	0.01
21.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	983	2800	0.28
22.	भाटेड़, सांगानेर (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	984	300	0.03
23.	बासडी जोगियान, फागी (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	1175/271	20798	2.0798
24.	बासडी जोगियान, फागी (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	269	3161	0.3161
25.	बासडी जोगियान, फागी (जयपुर)	NEW PATH DEVELOPERS LLP	1177/272	21241	2.1241
कुल					10

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **13-06-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर